XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.02.2012	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ** **राजस्व अपील वाद संख्या–95/09** **धारा–48 (F) B.T.Act** 1. मो0 समसुज्जमा, पिता–स्व0 हाजी अब्दूल जलील, साकिन–शीशावाड़ी, थाना–रौटा, जिला–पूर्णियाँ 2. मो0 फेसुज्जमा, पिता–स्व0 हाजी अब्दूल जलील, साकिन–शीशावाड़ी, थाना–रौटा, जिला–पूर्णियाँ **बनाम** 1. मो0 नुरूल इस्लाम, पिता–स्व0 सदाकत हुसैन 2. शकील अख्तर 3. मो0 आदिल रसीद — पिता–मो0 नुरूल इस्लाम 4. मो0 तुफुल अहमद 5. मो0 अनीज हुसैन 6. अबुलैश आलम 7. अबु तलहा 8. उमर फारूक — पिता–स्व0 मो0 सुल्तान 9. मो0 सुलेमान 10. अजीज आलम — पिता–मो0 नौशाद मंजर 11. मो0 सलमान अकीम सभी का साकिन–मीरगंज, थाना–रौटा, जिला–पूर्णियाँ..... विपक्षी संख्या–1 12. मो0 मसीउज्जमा, पिता–स्व0 हाजी अब्दूल जलील, साकिन–शीशावाड़ी, थाना–रौटा, जिला–पूर्णियाँ 13. तहसीन, पिता–स्व0 बजीउज्जमा 14. मसोमात हमीदा खातुन, पति–स्व0 वफीउज्जमा 15. बीबी शबीस्ता, पिता–स्व0 वफीउज्जमा साकिन–लाईन बाजार, थाना–के0हाट, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी संख्या–2 **आ दे श** आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–4/2007 में दिनांक 28.09.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी संख्या–1 के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदकगण एवं विपक्षी संख्या–2 के कुल जमीन 32 एकड़ 18 डिसमिल 01 कड़ी पर बटाई हक के लिये धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत दायर किया था। विपक्षी संख्या–1 के सदस्यों ने स्वंय वर्ष 1980 ई0 में उपरोक्त जमीन आवेदक एवं विपक्षी संख्या–2 से बटाई पर लेने की बात कहा है। निम्न न्यायालय में वाद प्रारम्भ होने के बाद आवेदक एवं विपक्षी संख्या–2 ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान में कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। भूस्वामी की पुत्री द्वारा उपरोक्त जमीन से बेची गयी जमीन के खरीददार को भी पक्षकार नहीं बनाया गया था। आवेदक के एक भाई कमरूज्जमा की मृत्यु वर्ष 1998 ई0 में हो गयी। तदुपरान्त	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	वर्ष 2000 ई0 में उनकी पत्नी रशीमा खातुन की भी मृत्यु हो गयी और रशीमा खातुन का भाई इकबाल उसके हिस्से का वारिस था। इकबाल रशीमा खातुन के हिस्से की जमीन को दिनांक 29.06.2005 को विपक्षी संख्या–1 के पास निबंधित केवाला द्वारा बेच दिया। विपक्षी संख्या–1 के अनुरोध पर आवेदकगण एवं अन्य हिस्सेदार विपक्षी संख्या–1 द्वारा खरीदी गयी जमीन का सीमांकन प्रत्येक खेसरा में करने का निर्णय लिया। लेकिन विपक्षी संख्या–1 खरीदी गयी जमीन विभिन्न टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही प्लाट (भूखण्ड) में लेना चाहता था। यह संभव नहीं था क्योंकि केवाला के अनुसार जमीन भिन्न–भिन्न टुकड़ों में बेची गयी थी। इसी बात से विपक्षी संख्या–1 असंतुष्ट होकर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी के न्यायालय में धारा–48 (E) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत झूठा मुकदमा दायर किया। विपक्षी संख्या–1 के सदस्यों ने वर्ष 1980 ई0 में स्वंय बटाई पर जमीन लेने की बात कहा है, जबकि विपक्षी संख्या–10 एवं 11 के पिता–मो0 नौशाद आलम उर्फ नौशाद मंजर का जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर तिथि 10.11.1966 ई0 है। ऐसी स्थिति में मात्र 14 वर्ष की आयु में विपक्षी संख्या–10 एवं 11 का जन्म कैसे संभव है। इसके प्रमाण में प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त 11 विभिन्न व्यक्ति एक साथ एक बड़े भूखण्ड को बटाई पर कैसे ले सकता है, जबकि उस जमीन में विभिन्न हिस्सेदार है। निम्न न्यायालय द्वारा इस वाद को अंचलाधिकारी, बायसी की अध्यक्षता में समझौता बोर्ड का गठन कर भेजा गया। अंचलाधिकारी बिना स्थल जाँच किये ही भूस्वामी के एक मृत हिस्सदार की विधवा का हिस्सा छोड़कर शेष जमीन 24 एकड़ 26 डिसमिल 1¼ कड़ी जमीन पर विपक्षी संख्या–1 को बटाईदार धोषित करने का अनुशंसा किये, जबकि समझौता बोर्ड में पक्षकारों द्वारा अपने पंच का नाम नहीं दिया गया और न ही अध्यक्ष द्वारा पंच को मनोनीत किया गया। इस प्रकार सारी प्रकियाओं को नजर अन्दाज कर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर विधि के अनुकूल आदेश पारित करने की कृपा की जाय। विपक्षी संख्या–1 का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद किसी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। आवेदकगण निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी सी0डबलू0जे0सी0 नं0–10347/2007 दायर किया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। समझौता बोर्ड द्वारा जाँच कर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है। अतः विपक्षी संख्या–1 इस वाद को खारिज करने का अनुरोध करता है। पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 03.02.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत है। निम्न न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। समझौता बोर्ड के प्रतिवेदन भी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त है। किसी भी पंच का हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक के द्वारा यह भी कहा गया कि उनके द्वारा इस वाद की Admission के बिन्दु पर वर्ष 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया, जो खारिज हुआ है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समझौता बोर्ड के विरूद्ध वाद दायर किया गयां उस कारण से विपक्षी के द्वारा समझौता बोर्ड में भाग लेने की कोई प्रयास नहीं किया गया।	

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	